

भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH अनुबन्ध-पत्र / वचन-पत्र

1. मैं/हम उत्तर प्रदेश पीपल को-ऑपरेटिव लिमिटेड जिसे एतद्वारा 'प्रदायक' (सप्लायर) कहा गया है से निम्नलिखित **₹ 50 रुपये** की संस्थापन (इन्स्टालेशन) को प्रकिया/प्रक्रियाओं के सम्मरण का प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की न्यूनतम अवधि के निर्मित अथवा शक्ति से अतिरिक्त विद्युत शक्ति लेने के लिए सहमत हूँ/हैं। उपर्युक्त दो वर्ष की न्यूनतम अवधि समाप्त होने के पश्चात ऐसे वचन वर्षानुवर्ष यहाँ निहित शर्तों के अन्तर्गत पर तब तक जारी रखा गया समझा जायेगा, जब तक कि दोनों में से किसी ओर से कम से कम 30 दिन की पूर्व लिखित सूचना देकर उसको समाप्त न कर दिया गया हो।
2. मैं/हम, एतद्वारा इस समय प्रचलित अथवा प्रदायक द्वारा समय-समय पर क्या संशोधित उपर्युक्त सम्मरण के लिए निगम द्वारा निगम दरों पर तथा सम्मरण की शर्तों से अनुबन्धित अन्य परिचयों का भी भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
3. मैं/हम, एतद्वारा प्रदायक के पास आवश्यक प्रतिभूति धनराशि (सिक्योरिटी एगारण्ट) जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं और कोई भी अग्रतर प्रतिभूति जब कभी भी प्रदायक द्वारा मांगी जायेगी, जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
4. मेरे/हमारे सम्बन्ध में प्रवृत्त टैरिफ के अनुसार स्थानबद्ध न्यूनतम प्रत्याभूति (गारन्टी परिचय्य चार्ज) में जो भी कमी यदि कोई होगा, वह वास्तविक उपभोग की कटौती करने के उपरान्त जिसमें से वह छूट या सरभार्ज निकाल दिया जायेगा जो किसी बिल के देरी से भुगतान करने के कारण अदेय हो, भुगतान की जायेगी।
5. मैं/हम, प्रदायक के स्टोर से कनेक्शन के स्थल तक स्वामी अपनी लागत पर सामान को ले जाने के लिए वचनबद्ध होता हूँ/होते हैं, वचनबद्ध नहीं हूँ/नहीं होते हैं।
6. मैं/हम अपनी लागत पर खम्भों (पोल्स) के संस्थापन (इन्स्टालेशन) के लिए अग्रित सीमेन्ट की व्यवस्था करने के लिए वचनबद्ध होता हूँ/वचनबद्ध होते हैं, वचनबद्ध नहीं होते हैं।
7. मैं/हम, एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस समय प्रवृत्त सम्मरण की दरों और शर्तों में मैंने/हमने पठ लिया है। मैं एतद्वारा अग्रतर अनुबन्ध करता हूँ/करते हैं कि इस प्रवृत्त सम्मरण की शर्तों का पालन करूँगा/करेंगे तथा उसमें होने वाले पश्चातवर्ती परिष्कारों का अथवा परिवर्तनों का भी पालन करूँगा/करेंगे तथा यथाप्रवृत्त अथवा समय-समय पर क्या संशोधित इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट 1948 तदन्तर्गत निर्मित नियमावली, विनियमावली, इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 तथा इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूलस 1956 से आबद्ध हूँगा/होंगे।

मू-गृहादि का विवरण

मैं एतद्वारा अग्रतर अनुबन्ध करता हूँ कि मैं निम्नलिखित उपनुबन्धों (स्टीपुलसन्स) का पालन करूँगा।

- (1) सर्विस कनेक्शन एवं अन्य निर्धारित व्यय आदि की धनराशि जमा करूँगा।
- (2) अन्य वांछित औपचारिकतायें पूरी करूँगा।

उपरोक्ता का हस्ताक्षर

पूरा नाम श्री. वाशुदास उत्र

पिता का नाम श्री श्री. राम

ग्राम महुआर पोस्ट

थाना शिवपुर जिला गिरजापुर

विधा पंचायत लोड 34.5

कृपि कान्त सिंह

4400-5

भारतीय न्यायिक
रजिस्ट्रार कार्यालय
22 JUL

भारतीय गैर न्यायिक



मे/हम अधिनियम द्वारा है/पंचसंकेत है कि समस्त विषय पर प्रमाणित किसे किये के अर्थात् इन
चयन-पत्र के निष्पादन के निर्मित अपेक्षित स्टाम्पों तथा रजिस्ट्रार शुल्क, यदि कोई हो मुद्रांकन कराना/करने।
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH तथा प्रतिबन्धों को सुसंगतरूप से प्राप्त कर लिया है।

CR 643592

उपभोक्ता का हस्ताक्षर
 पूरा नाम श्री. अशोक कुमार उम्र
 पिता का नाम श्री श्री. लाल
 ग्राम मुहम्मद पोस्ट
 थाना वि०ख० जिला मिर्जापुर

हस्ताक्षर
 पूरा नाम उम्र
 पिता का नाम श्री
 ग्राम पोस्ट
 थाना वि०ख० जिला मिर्जापुर

हस्ताक्षर
 पूरा नाम उम्र
 पिता का नाम श्री
 ग्राम पोस्ट
 थाना वि०ख० जिला मिर्जापुर

- प्रतिनूति की धनराशि का विवरण
 - रसीद संख्या.....
 - दिनांक.....
 - धनराशि.....
 - (क) अंको में.....
 - (ख) शब्दों में.....
- सम्भरण प्रारम्भ होने का दिनांक.....

Mari
हस्ताक्षर
अनुबन्ध लिपिक

OL
हस्ताक्षर
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-1

विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यपूरक प्रमाण पत्र

(राज्य सरकार से अनुज्ञापति (लाइसेन्स) प्राप्त ठीकेदार द्वारा भरा जायेगा।)

स्वामी का नाम -

श्री - बाबु लाल

का नाम -

श्री - मिश्री लाल

की अवस्थिति -

महुकट पिण्ड - बलिया

एवं प्रदाय की प्रणाली -

प्लग टाइप - मिश्री लाल

(1) बोल्टता

230V

(2) कलाओं (फेजों की संख्या)

3

(3) एपसीओ / डीओसीओ

स्वी

वायरिंग का प्रयोजन

वायरिंग का प्रकार (बैटन कन्ड्यूट इत्यादि)

संस्थापन की विशिष्टियाँ :-

220/230 वोल्ट (कम) सिंगल फेज ए.सी. सप्लाय

220/230 वोल्टस						400/440 वोल्टस		उच्च / अति उच्च बोल्टता संस्थापन	
फेज-1		फेज-2		फेज-3		संख्या	कुल क्षमता	संख्या	कुल क्षमता
संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स				

- I-
- (1) बलियों के प्वाइंट
 - (2) पंखों के प्वाइंट
 - (3) प्लग के प्वाइंट
 - (4) मोटरें / जनरेटर्स
- (पूर्ण ब्यौरा दिया जाये)

3HP. x 1 = 3HP. Motor
 60 x 2 = 120 watt
 220/230 वोल्ट
 A.C. supply

वोग

3HP. Motor

- II- अन्य उपस्कर (पूरा ब्यौरा दिया जाय)

(1)

(2)

3HP. Motor
 10A

कुल संयोजित भार किलोमीटर में -
 अधिकतम करन्ट मांग, एम्पियर में -
 (कुल संयोजित भार के आधार पर)